छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

चतुर्थ विधान सभा चतुर्थ सत्र अंक-02

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 03 मार्च, 2015

(फाल्गुन 12, शक संवत् 1936)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

1.निधन का उल्लेख

मानननीय अध्यक्ष ने श्री मुनीराम साहू, अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्य के निधन पर शोकोद्‌गार व्यक्त किए ।

मुख्यमंत्री-डॉ.रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष-श्री टी.एस.सिंहदेव, श्री पुन्नूलाल मोहले-खाद्‌य मंत्री, श्री तोखन साहू-सदस्य ने भी शोकोद्‌गार व्यक्त किए।

सदन द्‌वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत को श्रद्धांजलि दी गई एवं शोक संतप्त परिवार के लिए संवेदना प्रकट की गई।

(दिवंगत के सम्मान में सदन की कार्यवाही 11.10 बजे स्थगित होकर 11.16 बजे पुन: प्रारंभ हुई।)

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

2. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 08 (कुल 08) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये। प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 08 तारांकित एवं 34 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

3. व्यवस्था का प्रश्न

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि कांग्रेस पार्टी के दो सदस्यों को दल से निलंबित कर दिया है एवं विधायक दल की बैठक में उनको आमंत्रित भी नहीं कर रहे हैं। दोनों सदस्यों को अलग बैठने की असंबद्ध सदस्य के रूप में मान्यता दी जावे।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय ने कथन किया कि माननीय सदस्य कांग्रेस विधायक दल के सदस्य हैं या नहीं यह जानकारी होनी चाहिए।

श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि दोनों सदस्यों को पार्टी से हटा देने की सूचना विधान सभा सचिवालय को नहीं मिली है तो वे कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री ने भी आसंदी से आग्रह किया कि दोनों सदस्यों को विधायक दल में नहीं बुलाया जाना सदन की चिंता का विषय है अत: इस विषय पर आसंदी से निर्णय आना चाहिये।

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि दोनों सदस्य विधायक दल के सदस्य हैं या नहीं इस संबंध में कोई शिकायत नियमों के अंतर्गत आएगी तब वे परीक्षण कर उस पर व्यवस्था देंगे। अभी वे संसदीय कार्य मंत्री जी के प्राप्त पत्र पर व्यवस्था देंगे।

4. अध्यक्षीय व्यवस्था

माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने अपने आवेदन दिनांक 19.02.2015 में यह उल्लेख करते हुए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो सदस्यों को पार्टी ने निलंबित कर दिया है, फलस्वरूप अब वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य नहीं हैं और अस्थायी तौर पर उस दल से असम्बद्ध हैं। ऐसी स्थिति में सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? पृच्छा करते हुए निलंबित सदस्यों को पृथक से स्थान आवंटित करने के संबंध में आवेदन दिया है।

सभा में कौन सदस्य कौन-से आसन पर बैठेगा ? नियमों के अंतर्गत यह मेरे क्षेत्राधिकार का प्रश्न है और मैं सदस्यों के आसनों का निर्धारण सामान्यत: संबंधित दल के नेता से सलाह-मशविरा कर निर्धारित करता हूं। इसी परिप्रेक्ष्य में सत्र आरंभ होने के पूर्व मैंने दोनों ही दलों से आसन क्रम परिवर्तन करने के संबंध में पृच्छा की थी और दलों के नेताओं से प्राप्त सुझाव को विचार में लेते हुए अंतिम रूप से आसनों का निर्धारण किया है।

जहां तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों के निलंबन का प्रश्न है, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, जिसका विधान सभा से कोई संबंध् नहीं है। कांग्रेस विधायक दल के नेता ने भी मुझे विधायक दल में किसी प्रकार के परिवर्तन की सूचना नहीं दी है। ऐसी स्थिति में विधान सभा सचिवालय को पूर्व में प्राप्त जानकारी अनुसार सभा में राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों की संख्या 39 है।

5. दिसम्बर, 2014 सत्र के समय पूर्व सत्रावसान के कारण बैठक हेतु पूर्व निर्धारित तिथि की मुद्रित प्रश्नोत्तरी का पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 13-क की अपेक्षानुसार चतुर्थ विधान सभा के दिसम्बर, 2014 सत्र का दिनांक 17 दिसम्बर, 2014 को सत्रावसान हो जाने के कारण बैठक हेतु पूर्व निर्धारित तिथियों दिनांक 19, 22, 23 एवं 24 दिसम्बर, 2014 की मुद्रित प्रश्नोत्त्री प्रमुख सचिव विधान सभा द्वारा पटल पर रखा गया।

6. दिसम्बर, 2014 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों के संकलन का पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 13-ख की अपेक्षानुसार दिसम्बर, 2014 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन प्रमुख सचिव विधान सभा द्वारा पटल पर रखा गया।

7. नियम 267-क के अधीन दिसम्बर, 2014 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार नियम 267-क के अधीन दिसम्बर, 2014 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन प्रमुख सचिव विधानसभा द्वारा पटल पर रखा गया।

8. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार प्रमुख सचिव, विधान सभा द्वारा चतुर्थ विधान सभा के दिसम्बर, 2014 सत्र में पारित 6 विधेयकों में से 5 विधेयकों पर माननीय राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई है, का विवरण सदन के पटल पर रखा गया।

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि अनुमति प्राप्त विधेयकों के नाम दर्शाने वाला विवरण पत्रक भाग-दो के माध्यम से माननीय सदस्यों को पृथक से वितरित किया जा रहा है।

9.सभापति तालिका की घोषणा

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम-निर्दिष्ट किया गया :-

(1) श्री बद्रीधर दीवान
(2) श्री देवजी पटेल
(3) श्री सत्यनारायण शर्मा
(4) श्री संतोष बाफना
(5) श्री शिवरतन शर्मा
(6) श्री धनेन्द्र साहू

10. पृच्छा

श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने नागरिक आपूर्ति निगम में अनियमितता संबंधी स्थगन पर चर्चा कराने की मांग की।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री ने सूचना प्रथम अवसर पर प्राप्त नहीं होने के कारण अग्राहृय करने का आग्रह किया।

डॉ.विमल चोपड़ा एवं श्री केशव चंद्रा, सदस्य द्वारा भी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराने की मांग की गई।

11. स्थगन प्रस्ताव

माननीय अध्यक्ष द्वारा प्रदेश के नागरिक आपूर्ति निगम में व्याप्त अनियमितता के संबंध में 35 सदस्यों की ओर से स्थगन प्रस्ताव की प्राप्त सूचनाओं में से श्री भूपेश बघेल, सदस्य की सूचना अधिक तथ्यात्मक होने से पढ़ी गई।

श्री पुन्नूलाल मोहले, खाद्य मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

12. स्थगन प्रस्ताव की ग्राहृता पर चर्चा

श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने स्थगन प्रस्ताव की ग्राहृता पर चर्चा प्रारंभ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री धनेन्द्र साहू, डॉ.विमल चोपड़ा, श्री अमित अजीत जोगी,

(1.30 से 3.02 तक अंतराल)

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

श्री सत्यनारायण शर्मा,

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष ।

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

माननीय अध्यक्ष ने माननीय सदस्यों के विचार तथा शासन का उत्तर सुनने के पश्चात स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा नारेबाजी की गई।)

(निरंतर नारेबाजी के कारण सदन की कार्यवाही 3.43 बजे स्थगित की जाकर 4.02 बजे पुन: समवेत हुई।)

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

श्री भूपेश बघेल, सदस्य द्वारा सी.बी.आई जांच की मांग की गई।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा नारेबाजी की गई।)

13. विलोपन पर व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि - स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के आरंभ होने से उन्होंने कुछ वाक्य कार्यवाही में से विलोपित कर दिए हैं ।

कार्यवाही से कुछ वाक्य विलोपित करने के संबंध में व्यवस्था देते हुए माननीय अध्यक्ष ने कहा कि मेरी इस व्यवस्था को संदर्भित करते हुए विलोपित नामों के प्रकाशन की भी अनुमति नहीं है।

14. ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि - नेता प्रतिपक्ष श्री टी.एस. सिंहदेव एवं सदस्य श्री देवजी भाई पटेल, सदस्य की ध्यानाकर्षण सूचनाएं कल ली जावेंगी।

15. वर्ष 2014-2015 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने वर्ष 2014-2015 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया।

माननीय अध्यक्ष ने अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चा और मतदान के लिए बुधवार, दिनांक 4 मार्च, 2014 की तिथि निर्धारित की।

अपराह्न 4.08 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 04 मार्च, 2015 (फाल्गुन-13, शक संवत् 1936) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा